उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-2
संख्या-245/2024/ 763481/41-2-2024/110(सा0)/2023-CN-1749744
लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

संख्या-210 /2024/1376/41-2-2024/110(सा0)/2023-CN-1749744, दिनांक 06.08.2024 का

शुद्धि-पत्र

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढॉचे का पुनर्गठन किये जाने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या 210 /2024/1376/41-2-2024/110(सा0)/2023-CN-1749744, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्रस्तर-6 (4) में अंकित तालिका के क्रमांक-1 में अंकित संयुक्त निदेशक पर्यटन का मैट्रिक्स लेवल-11 के स्थान पर मैट्रिक्स लेवल-12 तथा उक्त शासनादेश में प्रयुक्त क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी के स्थान पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 06.08.2024 को संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
   कार्मिक विभाग/वित्त विभाग/नियोजन विभाग एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।